जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम के अन्तर्गत वाराणसी में क्रियान्वित की जा रही सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट के सन्दर्भ में योजित रिट याचिका संख्या 5444/2013 में मा. उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.04.2013 के संबंध में विचार-विमर्श हेतु प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 11.09.2013 को अपरान्ह 4.00 बजे से आहूत बैठक का कार्यवृत्त।

<u>उपस्थिति</u>
<u>सर्वश्री</u>

1. चंचल कुमार तिवारी, मण्डलायुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी।
2. नरेन्द्र कुमार सिंह, निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।
3. आर.पी. सिंह, नगर आयुक्त, नगर निगम, इलाहाबाद।
4. वी.पी. सिंह, निदेशक, सीएण्डडीएस, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
5. के.के.अग्रवाल, टीम लीडर, पीएमयू, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।
6. ए.के. राय, महाप्रबन्धक, सीएण्डडीएस, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
7. ओ.पी. राय, प्रोजेक्ट मैनेजर, सीएण्डडीएस, यूनिट-24 वाराणसी।
8. बी.एन. तिवारी, अधिकृत प्रतिनिधि, मेसर्स ए2जेड वेस्ट मैनेजमेन्ट, वाराणसी लि0

बैठक में सर्वप्रथम अवगत कराया गया कि नगर निगम, वाराणसी द्वारा वाराणसी में क्रियान्वित सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट के प्रश्नगत कन्सेशन एग्रीमेन्ट के निरस्त किये जाने के फलस्वरूप उक्त योजना के कन्सेशनायर मेसर्स ए2जेड वेस्ट मैनेजमेन्ट (वाराणसी) लिमिटेड, गुड़गांव द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या 5444/2013 में सभी पक्षों के अधिवक्ताओं के आश्वासन पर दिनांक 22.04.2013 को निम्न आदेश पारित किया गया है-

"It is contended by the learned counsel for the parties that if the matter is adjourned for one month, there is possibility of re-settlement......"

2- मा. उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश के क्रम में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट के पर्यावरणीय तथा जनहित के महत्व को देखते हुए नगर आयुक्त, नगर निगम, वाराणसी, सी.एण्ड डी.एस. उ.प्र. जल निगम तथा कन्सेशनायर मेसर्स ए2जेड वेस्ट मैनेजमेन्ट (वाराणसी) लिमिटेड, गुड़गांव द्वारा परियोजना के क्रियान्वयन के परिप्रेक्ष्य में आपस में विचार-विमर्श कर निम्नानुसार सहमति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया-

<u>नगर निगम द्वारा प्रस्तावित कार्यवाही</u>

- नगर निगम द्वारा कन्सेशन एग्रीमेन्ट की धारा 14.1 के अधोवर्णित प्राविधान का उपयोग करते हुए कार्यहित में निरस्तीकरण नोटिस को निष्प्रभावी किया जायेगा तथा विवादपूर्ण बिन्दुओं का कन्सेशन एग्रीमेन्ट की धारा 14 की भावनानुसार निपटारा कराया जायेगा।

  14.1 Amicable Resolution

  (a) "Save where expressly stated to the contrary in this Agreement, any dispute, difference or **controversy of whatever nature between the Parties, howsoever arising under, out of or in relation to this Agreement, including those arising with regard to acts, decision or**

opinion of the Independent Engineer (the "Dispute") shall in the first instance be attempted to be resolved amicably in accordance with the procedure set forth in Sub-article (b) below.

- नगर निगम द्वारा लम्बित टिपिंग फी के बीजकों का परीक्षण कराते हुए पारस्परिक सहमति से भुगतान किया जायेगा।
- नगर निगम द्वारा बैंक गारण्टी के जब्तीकरण/नकदीकरण आदेश को निरस्त किया जायेगा।
- यूजर चार्ज वसूली के सम्बन्ध में शासन द्वारा जारी आदेश का पालन पक्षों के लिये बाध्यकारी होगा।

<u>सी.एण्ड डी.एस. उ.प्र.जल निगम द्वारा प्रस्तावित कार्यवाही</u>

- सी.एण्ड डी. एस. द्वारा ऑपरेटर के औचित्यपूर्ण लम्बित भुगतान किये जायेंगे, तथा भुगतान में हुए विलम्ब हेतु कन्सेशनायर को किसी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान अथवा क्षतिपूर्ति देय नहीं होगा।

<u>कन्सेशनायर मेसर्स ए2जेड वेस्ट मैनेजमेन्ट (वाराणसी) लिमिटेड, गुड़गांव द्वारा प्रस्तावित कार्यवाही</u>

- उक्तानुसार पारस्परिक सहमति के फलस्वरूप मा. उच्च न्यायालय में योजित याचिका को जनहित में वापस ले लिया जायेगा।
- कन्सेशन एग्रीमेन्ट की शर्तों के अनुसार वांछित बैंक गारन्टियां वैध करायी जायेंगी।
- कन्सेशन एग्रीमेन्ट में प्रस्तावित कार्यों को तत्काल प्रारम्भ करते हुए माह जनवरी-2014 तक पूर्ण कराया जायेगा।
- कन्सेशन एग्रीमेन्ट के अनुसार कलेक्शन तथा ट्रान्सपोर्टेशन का कार्य तुरन्त प्रारम्भ कर दिया जायेगा।
- परियोजना पर ग्रान्ट मद में क्रय किये गये वाहनों, मशीनरी, टी.एण्ड.पी. आदि पर स्वामित्व नगर निगम का होने के फलस्वरूप वाहनों, मशीनरी, टी.एण्ड.पी. आदि को स्वयं के व्यय पर चालू हालत में नगर निगम के नाम 02 माह के अन्दर किया जायेगा।
- समस्त अवशेष कार्य पूर्ण करने में यदि कोई अतिरिक्त व्यय होता है, तो वह कन्सेशनायर द्वारा वहन किया जायेगा।

3- बैठक में सम्यक विचारोपरान्त उक्त प्रस्ताव पर तीनो पक्षों-नगर निगम, वाराणसी, सीएण्डडीएस, उ0प्र0 जल निगम तथा मेसर्स ए2जेड वेस्ट मैनेजमेन्ट वाराणसी लि0, गुड़गाँव द्वारा तद्नुसार कार्यवाही किये जाने पर सहमति व्यक्त की गई।

उपर्युक्तानुसार हुए विचार-विमर्श के पश्चात् बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

18/9/201

(श्रीप्रकाश सिंह)
विशेष सचिव

उत्तर प्रदेश सरकार
नगर विकास अनुभाग-5
संख्या-4452(2)/नौ-5-2013-2रिट/2013
लखनऊ:: दिनांक 18 सितम्बर, 2013

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव/विशेष सचिव, नगर विकास विभाग, उ.प्र. शासन।
2. मण्डलायुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी।
3. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ.प्र. लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. जल निगम, लखनऊ।
5. निदेशक, सी.एण्ड.डी.एस., उ.प्र. जल निगम, लखनऊ।
6. मुख्य महाप्रबन्धक (प्रथम), सी.एण्ड.डी.एस., उ.प्र. जल निगम, लखनऊ।
7. मेसर्स ए2जेड वेस्ट मैनेजमेन्ट (वाराणसी) लिमिटेड, गुड़गॉव।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
उप सचिव।